वस्तु एवं सेवाकर

एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार

वस्तु एवं सेवाकर 1 जुलाई, 2017 से लागू होने जा रहा है। यह स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़े कर सुधारों में से एक है। इससे कर अदा करने के हमारे तरीके में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री के शब्दों में –जीएसटी परिवर्तन और पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने व्यापार में सुगमता लाने के लिए इसे अप्रत्यक्ष करों में एक व्यापक सुधार की संज्ञा दी है। इस शृंखला के अंतर्गत हम नई कर व्यवस्था, उसके फायदों और यह कैसे वर्तमान कर व्यवस्था में सुधार लाएगी और अन्य अति–आवश्यक प्रश्नों के जवाब देंगे।

जीएसटी समूचे राष्ट्र के लिए एक परोक्ष कर है, जो भारत को एकीकृत साझा बाजार बनाएगा। यह वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर विनिर्माण से लेकर उपभोक्ता तक एकल कर है। पिछले चरण पर अदा किए गए इन्पुट करों का क्रेडिट मूल्य संवर्द्धन के परवर्ती चरण में उपलब्ध होगा, यह प्रावधान जीएसटी को अनिवार्यतः एक ऐसा कर बनाता है जो प्रत्येक चरण में केवल मूल्य संवर्द्धन पर लगेगा। इस तरह अंतिम उपभोक्ता को केवल उतना जीएसटी वहन करना होगा, जो आपूर्ति शृंखला में अंतिम व्यापारी द्वारा वसूल किया जाएगा, और साथ ही पिछले सभी चरणों पर अदा किए गए कर के लिए सेट–ऑफ लाभ प्रदान किया जाएगा।

जीएसटी के लाभ

व्यापार और उद्योग के लिए

'आसान अनुपालनः भारत में जीएसटी व्यवस्था का आधार एक सुदृढ़ और व्यापक आईटी प्रणाली होगी। अतः सभी करदाता सेवाएं, जैसे पंजीकरण, रिटर्न, भुगतान आदि ऑनलाइन प्रदान की जाएंगी, जिससे अनुपालन में सुगमता और पारदर्शिता आएगी।

'कर की दरों और संरचनाओं में एकरूपता : जीएसटी यह सुनिश्चित करेगा कि परोक्ष कर की दरें और संरचनाएं देशभर में एक समान रहें, जिससे व्यापार करने की अवश्यंभाविता और सुगमता में वृद्धि होगी। दूसरे शब्दों में, जीएसटी देश में व्यापार प्रक्रिया को कर की दृष्टि से तटस्थ बनाएगा, चाहे आप किसी भी स्थान पर व्यापार करने का विकल्प चुनें।

'प्रपाती प्रभाव की समाप्ति : समूची मूल्य शृंखला में कर–क्रेडिट की सीवनरहित प्रणाली, यह सुनिश्चित करेगी कि करों का प्रपाती प्रभाव न्यूनतम हो। इससे व्यापार संचालन की प्रच्छन्न लागत में कमी आएगी।

'प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधारः व्यापार करने की लागत में कमी आने से अंततः व्यापार और उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में सुधार होगा।

'विनिर्माताओं और निर्यातकों को लाभः प्रमुख केन्द्रीय और राज्य करों के जीएसटी में समाहित होने, इन्पुट वस्तुओं एवं सेवाओं का पूर्ण और व्यापक सेट–ऑफ और केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) की चरणबद्ध रूप में समाप्ति जैसे प्रावधानों से स्थानीय रूप में विनिर्मित वस्तुओं और सेवाओं की लागत में कमी आएगी। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की प्रतिस्पर्धा क्षमता में वृद्धि होगी और भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। समूचे देश में कर की दरों और प्रक्रियाओं में एकरूपता से अनुपालन लागत में भी काफी कमी आएगी।

केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए

'संचालन की दृष्टि से सामान्य और सरलः केन्द्र और राज्यों के स्तर पर लगाए जाने वाले अनेक परोक्ष करों का स्थान जीएसटी लेगा। एक छोर से दूसरे छोर तक सुदृढ़ आईटी प्रणाली द्वारा समर्थित जीएसटी का संचालन केन्द्र और राज्यों के अब तक के सभी अन्य परोक्ष करों की तुलना में अधिक सामान्य और सरल किस्म का होगा।

'रिसाव पर कारगर नियंत्रणः एक मजबूत आईटी ढांचे के कारण जीएसटी का कर–अनुपालन बेहतर होगा। मूल्य संवर्द्धन शृंखला में एक चरण से दूसरे चरण तक इन्पुट टैक्स क्रेडिट अबाधित होने की बदौलत जीएसटी के डिजाइन में ऐसी अन्तर–निहित व्यवस्था की गई है, जो व्यापारियों को कर अनुपालन के लिए प्रेरित करेगी।

'उच्चतर राजस्व सक्षमताः जीएसटी से यह अपेक्षा की जा रही है कि सरकार के कर–राजस्व संग्रह की लागत में कमी आएगी और नतीजतन राजस्व सक्षमता में वृद्धि होगी।

उपभोक्ताओं के लिए

'वस्तुओं और सेवाओं के अनुपात में एकल और पारदर्शी करः केन्द्र और राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले बहुसंख्य करों और मूल्य शृंखला के परवर्ती चरणों में कोई इनपुट कर क्रेडिट की व्यवस्था न होने या अधूरी व्यवस्था होने के कारण आज देश में अधिकतर वस्तुओं और सेवाओं की लागत में प्रच्छन्न कर समाहित रहते हैं। जीएसटी के अंतर्गत विनिर्माता से उपभोक्ता तक केवल एक ही कर होगा, जिससे अंतिम उपभोक्ता तक अदा किए गए करों में पारदर्शिता रहेगी।

'समग्र कर बोझ में राहतः सक्षमता में वृद्धि और रिसाव की रोकथाम होने से ज्यादातर वस्तुओं पर कर का बोझ कम होगा, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचेगा।

आगामी अंक

अगस्त, 2017 – डिजिटल होता ग्रामीण भारत